

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं पुस १३ गते २०३३ साल

श्री ५ को सरकार

गृह पञ्चायत मन्त्रालयको

सूचना

प्रहरी ऐन (संशोधन सहित, २०१२ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ सरकारले उक्त ऐनको दफा ३३, ३३ क, ३३ ख, ३४, ३४ क, अन्तरगत सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारवाई र किनारा गर्न देहायबमोजिमको पदाधिकारी भएको बोर्डहरू गठन गरिएको छः-

१. प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मको निमित्तः

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---------|
| (क) | सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी | - | - | अध्यक्ष |
| (ख) | सम्बन्धित जिल्लाको सहायक सरकारी अभिवक्ता तथा सहायक सरकारी अभियोक्ता | - | - | सदस्य |
| (ग) | सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी कार्यालय प्रमुख | - | - | सदस्य |

२. प्रहरी नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षकसम्मको निमित्तः

- | | | | | |
|-----|---|---|---|---------|
| (क) | सम्बन्धित अञ्चलको अञ्चलाधीश- | - | - | अध्यक्ष |
| (ख) | सम्बन्धित अञ्चलको सरकारी अभिवक्ता तथा सरकारी अभियोक्ता- | - | - | सदस्य |
| (ग) | सम्बन्धित अञ्चलको प्रहरी कार्यालय प्रमुख- | - | - | सदस्य |

३. प्रहरी उपरीक्षकदेखि प्रहरी महा-निरीक्षकसम्मको निमित्तः

गृह पञ्चायत सचिवज्यूको एक सदस्यीय बोर्ड

आज्ञाले-

शेरबहादुर शाही

श्री ५ को सरकारको सचिव

(१७)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(१०)

विभाग प्रमुख का पत्र

विभाग प्रमुख विभाग
(विभाग प्रमुख का पत्र)

विभाग प्रमुख विभाग
(विभाग प्रमुख का पत्र)

विभाग प्रमुख -

हफ्ता लापर

विभाग प्रमुख का पत्र -

६ मार्च

विभाग प्रमुख -

हफ्ता लापर

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

हफ्ता

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९
विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९
विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख -

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

विभाग प्रमुख का पत्र - ६ मार्च ६९

35C

(०९)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।